ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एच-169, गामा सैक्टर, ग्रेटर नौएडा सिटी
गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक -उद्योग /2016/7477
दिनांक- 28 /03 /2016/

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 103 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2015 के मद संख्या 103/14 में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुक्रम मे निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांकः ग्रेनो/बिल्डर्स/2016/FTS-245 दिनांक 01.01.2016 द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित समस्त परिसम्पत्तियो के लिये शून्य काल अवधि घोषित किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में शून्य काल अवधि घोषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है

1. यदि किन्ही उपयुक्त कारणों से प्राधिकरण द्वारा आवंटी/विकासकर्ता को आवंटित भूमि/भूखण्ड कर कब्जा हस्तगत नहीं हों पा रहा हो।

2. शांति व्यवस्था की स्थिति बिगडने के कारण अथवा आवंटित भूमि पर अतिक्रमण आदि होने के कारण आवंटी/विकासकर्ता द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण/विकास कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो।

3. न्यायालय के स्थगन आदेश रहने के कारण आवंटन/पटटा प्रलेख/कब्जे की प्रक्रिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नही किया जा सकता हो।

4. शासनादेश/प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पटटा प्रलेख निष्पादित न हो सका हो।

5. पुर्ननिर्धारित किश्तों की अदायगी मुल आवंटन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नही होगी।

उक्त के क्रम में औद्योगिक सैक्टर इकोटैक–11 में वर्ष 2008 में औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूखण्डों का आज तक भौतिक कब्जा न दिये जाने के फलस्वरुप Zero Period का लाभ दिये जाने के संबन्ध में समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा इकोटैक–11 से संबन्धित परियोजना विभाग की अद्यतन आख्या एवं अन्य प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षणोपरान्त आवंटियों को दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2016 तक

शून्य काल घोषित करने एवं तदानुसार संशोधित पेमेन्ट प्लान जारी करने की संस्तुति एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 28.03.2016 के अनुक्रम मे औद्याोगिक ईकाईयो को आबंटित समस्त भूखण्डो को दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2016 तक शून्य काल मानते हुए समस्त आबंटियो को शून्य काल का लाभ देते हुए संशोधित पेमेंट प्लान किये जाने के यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

यह आदेश उन भूखण्डों पर प्रभावी नही होगा जिन्हे प्राधिकरण द्वारा इकाई के अनुरोध पर प्रभावी नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत अन्य औद्यौगिक सैक्टरो में स्थानान्तरित कर दिया गया हो अथवा भविष्य में प्रस्तावित हो।

(वी0 पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय
3. महाप्रबंधक (वित्त / नियोजन / परियोजना)
4. प्रबंधक (उधोग)

विशेष कार्याधिकारी